social sectors progammes. The allocation for rural development has been increased by 148 per cent from Rs. 3100 crores in 1992-93 (BE) to Rs. 7700 crores in 1995-96 (BE). The Central Budget for 1995-96 has also announced several anti-poverty and employment generation programmes.

Collections of Corporation Tax

6045. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that in the matter of collection of Corporation Tax, the officers have committed avoidable mistakes like incorrect adoption of figures, double allowance of deduction, arithmetical mistakes, calculation errors etc.;

(b) If so, whether Government have taken note of the C&AG's Report No. 5 of 1995 in which he has adversely commented mentioning a total loss of 20 crores on this;

(c) What is being done to streamline Corporation Tax collection and prevent mistakes; and

(d) what action has been taken against officers who have committed mistakes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI M. V. CHANDRASHEKARA MURTHY): (a) and (b) Yes, Sir.

(c) and (d) The Internal Audit Wing of the Department checks up if any mistake has been committed by the Assessing Officer to ensure that there is no leakage of revenue. Where there is revenue loss due to the error in the assessment order, the explanation of the Assessing Officer is obtained to ascertain the bonafide of committing such mistakes.

शेयर घोटाले के संबंध में प्रतिवेदन

6046. श्रीमती सुषमा स्वराज :
श्री राम जेठमलानी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने शेयर घोटाले में अंतर्ग्रस्त राशि के संबंध में जांच करने के लिये दिसम्बर, 1993 में एक उच्च अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था ;

(ख) यदि हां, तो इस समिति में कौन-कौन सदस्य मनोनीत किये गये थे

(ग) क्या यह भी सच है कि समिति ने जून 1994 में सरकार को एक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया था ;

(घ) यदि हां, तो समिति ने उक्त प्रतिवेदन में क्या-क्या तथ्य उजागर किये हैं;

(ङ) क्या सरकार ने इन तथ्यों के आधार पर अब तक कोई कार्यवाही की है ; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति द्वारा अपना पूर्ण जांच प्रतिवेदन सरकार को कब तक प्रस्तुत कर दिये जाने की संभावना है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति) : और (ख) बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के एक्सपोजर में अंतर्ग्रस्त "राशियों के अंतिम उपयोग" और इन निधियों से बनी आस्तियों का पता लगाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर ने अगस्त 1993 में अंतर अनुशासनिक समूह (आई०डी०जी०) का गठन किया था । अंतर अनुशासनिक समूह में निम्नलिखित शामिल हैं :-

सर्व श्री

1. ए० के० मैनन, अभिरक्षक, समूह के प्रमुख

2. जसपाल सिंह, संयुक्त निदेशक, केन्द्रीय जांच ब्यूरो

3. ए०पी० अय्यर, कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिजर्व बैंक

4. एच०सी० परेख, निदेशक (जांच) आई.टी. विभाग

5. सी० एम० मेहरा, उप निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय

(ख) से (च) अंतर अनुशासनिक समूह ने जून 1994 में अपनी अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जिसमें उसने अन्य बातों के साथ साथ यह माना है कि एक दलाल (हर्षद एस० मेहता समूह) के खातों की संवीक्षा से समूह के 143 खातों में कुल 69.71 करोड़ रुपए की निधि की कुल हेराफेरी का पता चला है। उपर्युक्त राशि दलाल के खाते की कुल प्राप्तियां और भुगतान को दर्शाती है। यह स्थिति जानकीरामन समिति की रिपोर्ट और प्रतिभूति और बैंक लेनदेनों में अनियमितताओं पर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट में भी बताई गई थी। संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट तो हर्षद मेहता समूह द्वारा किए गए 68,839.24 करोड़ रूपए के कुल प्रतिभूति लेनदेनों की मात्रा का भी उल्लेख किया गया था। यह राशि प्रतिभूति की कुल अंकित राशि को दर्शाता है। आई.डी.जी. द्वारा-प्रस्तुत अंतरिम रिपोर्ट में उल्लिखित उपलब्धियों का सारांश संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट के संशोधित पैराग्राफों में भी किया गया था जिसे 20-12-1994 को संसद में पेश किया गया था। आई.डी.जी. ने अपनी कार्रवाई अभी पूरी नहीं की है और अपनी अंतिम रिपोर्ट अभी ही दी है।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों का कार्यकरण

6047. **श्री मूलचन्द मीणा :** क्या **वित्त मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रिज बैंक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए जून 1994 में तर्कसंगत मानदंड लागू किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं ;

(ग) क्या लीजिंग कंपनियों के संघ ने हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक से यह अनुरोध किया है कि गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को दो वर्ष की अवधि में उपयुक्तता संबंधी मानदंडों को लागू करने तथा उनका पालन करने की अनुमति दी जाये ;

(घ) यदि हां, तो इस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है तथा ऐसी छूट/रियायत किन-किन आधारों पर मांगी गई हैं ; और

(ङ) गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के अनुरोध पर भारतीय रिजर्व बैंक की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम०वी० चन्द्रशेखर मूर्ति): (क) जी, हां।

(ख) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि विवेकपूर्ण मानदंडों में आय का निर्धारण, लेखा मानक, परिसंपत्ति का वर्गीकरण, अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों का प्रावधान पूंजी पर्याप्तता और ऋण निवेशों का संकेन्द्रण शामिल है। ये मानदंड भारतीय रिजव बैंक द्वारा निर्धारित किए गए हैं ताकि गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों का सुदृढ आधार पर कायकरण सुनिश्चित किया जा सके।

(ग) से (ङ) भारतीय रिजव बैंक ने सूचित किया है कि उसे वित्तीय कंपनियों के कतिपय संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए थे। जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह अनुरोध किया गया था कि मानदंडों की प्रभावी तारीख से स्थगित की जाए, एकल उधारकर्ता/उधारकर्ताओं के समूह को उधार देने के एक्सपोजर मानदंडों को शिथिल किया जाए, कतिपय ऋण/तुलनपत्र वाह्य एक्सपोजर के संबंध में निर्धारित जोखिम भार को शिथिल किया जाए आदि।